बेदंगा तालुकदाऱ

बनाम

सैफुदाउल्लाह खान और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8343-8344/2011 में आई.ए संख्या 5-8)

सितम्बर 28, 2011

(न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर व न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर)

सेवा विधि: - चयन को चुनौती - लोक सेवा आयोग मेंविभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी करना- प्रत्यर्थी संख्या 1 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मेंविफलता- प्रत्यर्थी संख्या 1 ने चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अनिवार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत किया, जो कि अभ्यर्थियों की चयन सूची के प्रकाशन और उसकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के साथ समाप्त किया गया-- आरक्षित श्रेणी में अपीलार्थी का चयन, परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 का नहीं हुआ, बावजूद इसके भी कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी से अधिक अंक प्राप्त किए- प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा रिट याचिका-- उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की पात्रता की जांच उसके द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र को ध्यान मेंरखकर की जाए--अपील में, सार्वजनिक कार्यालय मेंसभी नियुक्तियां अनुच्छेद 14 के

अनुरूप होनी चाहिए-- वहां कोई मनमानापन किसी अभ्यर्थी को दिखाए जा रहे अनुचित लाभ के परिणामंस्वरूप नहीं होना चाहिए-- इस प्रकार, चयन प्रक्रिया को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए - जब विज्ञापन मेंएक विशेष कार्यक्रमेंका उल्लेख किया गया है, उसे ईमानदारी से बनाए रखा जाना चाहिए-- विज्ञापन मेंशामिल नियमों और शर्तों मेंकोई छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि प्रासंगिक नियमों और/या विज्ञापन मेंछूट की शक्ति उचित रूप से आरक्षित न हो -- भले ही नियमों मेंछूट की शक्ति प्रदान की गई हो, फिर भी विज्ञापन मेंइसका उल्लेख किया जाना चाहिए --उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन मेंकिसी भी शर्त मेंछूट अनुच्छेद 14 व 16 मेंनिहित समानता के आदेश के विपरीत होगी -- तथ्यों के अनुसार, विज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि छूट की कोई शक्ति नहीं थी -- उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर गलती की कि आवेदन पत्र के साथ या प्रारंभिक परीक्षा मेंउपस्थित होने से पहले विकलांगता प्रमाणपत्र जमा करने के संबंध मेंप्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले में छूट दी जा सकती है; और यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्राधिकारियों ने आवेदन के साथ या प्रारंभिक परीक्षा मेंउपस्थित होने से पहले प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध मेंशर्त को आज्ञापक नहीं माना है, जो रिकार्ड के विपरीत है-- इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किया जाता है -- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की

सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी,) अधिनियमें1995 --भारत का संविधान, 1950 --अनुच्छेद 14 और 16

कनार्टक लोक सेवा आयोग और अन्य बनामें बी.एमेंविजयाशंकर एवं अन्य 1992(2) एस.सी.सी 206 -संदर्भित

केस कानून संदर्भ

1992(2) एस.सी.सी 206 संदर्भित किया पैरा 22

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील संख्या 8343 – 8344/2011

2010 की रिट याचिका संख्या 950 और 3382 मेंगुवाहाटी, असमेंके उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.03.2010 और 20.07.2010 से।

उपस्थित पक्षों के लिए जयंत भूषण और वी. हजारिका, मनीष के. बिश्नोई, गौतमेंतालुकदार, शकुंत सौमिहरा, आर. बी. फूकन, गुडविल इंदीवर, राजीव मेहता, वर्तिका सहाय और दीपिका (कार्पोरेट ला ग्रुप के लिए)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें रिट याचिका (सी) संख्या 950/2010 मेंदिनांक 04 मार्च 2010 के आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा रिट याचिका (सी) संख्या 3382 /2010 मेंदिनांक 02 जुलाई 2010 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा

पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरूद्ध निर्देशित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, जिसके तहत असमेंलोक सेवा आयोग (इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 के रूप मेंसंदर्भित) को प्रत्यर्थी संख्या 1 की पात्रता को उसके द्वारा पेश किए गए पहचान पत्र को ध्यान मेंरखते हुए जांच करने का निर्देश दिया गया था।

3. हमेंइन अपीलों में शामिल विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक तथ्यों पर ध्यान दे सकते है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 10 अगस्त 2006 को विज्ञापन संख्या 6/2006 जारी किया, जिसमें विज्ञापन में वर्णित विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतू स्क्रीनिंग करने के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2006 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के अपने आशय की घोषणा की गई। आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2006 निर्धारित की गई थी। हांलाकि, इस विज्ञापन मेंपद, विभिन्न श्रेणियों जैसे ओबीसी/एमओबीसी, एससी, एसटी (पी) और एसटी (एच) के लिए आरक्षित किए गए थे। लेकिन विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी,) अधिनियम, 1995 के तहत अपेक्षित विकलांग अभ्यर्थियों के पक्ष मेंकोई आरक्षण नहीं था।

5. परिणामस्वरूप, 13 मार्च 2007 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय मेंजनहित याचिका संख्याा 61 / 2006 दायर की गई। उच्च न्यायालय ने

एक अंतरिमेंआदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया कि याचिका लंबित रहने के दौरान कोई भी परीक्षा आयोजित न की जाए। 13 मार्च, 2007 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को असमेंसरकार (प्रत्यर्थी संख्या 2) से प्राप्त होने वाली मांगों के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करते हुए एक नया विज्ञापन बनाने का निर्देश दिया।

6. उच्च न्यायालय के 13 मार्च 2007 के आदेशों के अनुपालन में, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 5 जून, 2007 को एक शुद्धिपत्र जारी किया, जिसमेंविकलांग व्यक्तियों के संदर्भ में समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियमें1995 की शर्तों के अनुरूप शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की गई। संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा 2006 के आयोजन के संबंध मेंपदों के लिए पूर्व मेंजारी विज्ञापन संख्या 6/2006 हेतू मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए आसामेंसिविल सर्विस वर्ग -1 (जूनियर ग्रेड) के एक पद के लिए लोकोमोटर विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यह स्पष्ट है कि यह शुद्धिपत्र विज्ञापन संख्या 6/2006 दिनांक 10 अगस्त, 2006 की निरंतरता मेंजारी किया गया था। इसमेंयह प्रावधान किया गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 6/2006 दिनांक 10 अगस्त, 2006 के लिए पहले आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोकोमोटर

विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले आसामेंलोक सेवा आयोग के कार्यालय या परीक्षा हाल में समर्थ कारी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। शुद्धिपत्र के तहत आवेदन जमा करने की अंतिमेंतिथि 6 जुलाई, 2007 थी।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 10 अगस्त, 2006 के विज्ञापन के जवाब मेंआवेदन किया था। चूंकि किसी भी विकलांगता के संबंध में कोई विवरण जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने कोई विकलांगता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। हांलाकि, शुद्धिपत्र के मद्देनजर, प्रत्यर्थी संख्या 1 को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे प्रारंभिक परीक्षा शुरू होने से पहले आयोग के कार्यालय में या परीक्षा हाल में आवश्यक समर्थकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 को जिला मेडीकल बोर्ड, धुबरी द्वारा 21 जनवरी 2004 को 50 प्रतिशत की सीमा तक शारीरिक रूप से अक्ष में होने के लिए प्रमाणित किया गया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 को जिला समाज कल्याण अधिकारी धुबरी, द्वारा 18 फरवरी 2004 को एक पहचान पत्र जारी किया गया था जिसमें उसकी विकलांगता को 50 प्रतिशत की सीमा तक लोकोमोटर विकलांगता बताया था। प्रारंभिक परीक्षा 23 सितम्बर 2007 को आयोजित की गई थी।

8. हमें यहां देख सकते है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ''लोकोमोटर विकलांगता'' वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीट पर अपनी उम्मीदवारी को साबित करने के लिए 6 जुलाई, 2007 को को या उससे पहले, यानी जमा करने की आखिरी तारीख तक, अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे। जिस समय वह प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, उस समय भी उन्होनें अनिवार्य दस्तावेज जमा नहीं किए थे, इसलिए, वह सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हुए।

9. अपीलार्थी ओर प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनों ने प्रारंभिक परीक्षा मेंसफलतापूर्वक भाग लिया। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि ''आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र में फिर से आवेदन करना होगा, जो उन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा था कि उसने मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित फॉर्म में अपने आवेदन में कॉलम में संख्या 11 में विशेष रूप से दर्शाया था कि, वह 50 प्रतिशत की सीमा तक लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है। उनके अनुसार, उन्होनें जिला मेडीकल बोर्ड, धुबरी द्वारा जारी 21 जनवरी, 2004 का प्रमाण पत्र जमा किया था। संतुष्ट होकर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उसे मुख्य परीक्षा मेंबैठने की अनुमति दे दी थी।

10. लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, दोनों अभ्यर्थियों, यानी अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1 दिसम्बर, 2008

को साक्षात्कार के लिए बुलाया था। यह प्रत्यर्थी संख्या 1 का मामला था कि उसने 50 प्रतिशत की सीमा तक लोकोमोटर विकलांग्ता के उनके दावे के समर्थन मेंसाक्षात्कार के समय अन्य प्रमाण पत्रों और प्रशंसा पत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। आयोग, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने, 15 जून, 2009 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की। प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम उक्त सूची में नहीं था। वास्तव में, अपीलार्थी को शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के रूप में आसाम लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के लिए चुना दिखाया गया था।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन किया, जिसमेंउसके द्वारा प्राप्त अंको के विवरण के साथ साथ साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अन्य शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के विवरण की मांग की गई। उन्हें दी गई जानकारी से, प्रत्यर्थी संख्या 1 को पता चला कि उसने 817 अंक हांसिल किए थे, जबकि अपीलार्थी ने 695 अंक हासिल किए थे। इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 14 सितम्बर, 2009 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के अध्यक्ष के साथ साथ आयोग के सचिव को संबोधित एक अभ्यावेदन दिया और शिकायत की कि, उसकी उम्मीदवारी को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था, भले ही उसने परीक्षा मेंअपीलार्थी मेंअधिक अंक प्राप्त किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह भी दोहराया था कि लोकोमोटर विकलांगता श्रेणी मेंविचार

किए जाने के उसके दावे को आवश्यक दस्तावेजों, यानि जिला मेडीकल बोर्ड धुबरी द्वारा 21 जनवरी 2004 को जारी प्रमाण पत्र और जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र से विधिवत समर्थित किया गया था।

12. उन्होनें आगे यह भी कथन किया था कि साक्षात्कार के समय उन्होनें अपने दावे के समर्थन मेंआवश्यक दस्तावेज पेश किए थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार, 4 दिसंबर 2009 को आयोग के उपसचिव (प्रत्यर्थी संख्या 3) ने उन्हें सूचित किया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित दिखाने वाला पहचान पत्र मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, हांलाकि यह एक अनिवार्य दस्तावेज था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को तदनुसार 4 दिसम्बर, 2009 का संचार प्राप्त होने पर यथाशीघ्र आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आयोग के उपसचिव को संबोधित अपने पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2009 के माध्य में से यह बताते हुए कि, वह लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, यह दर्शाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज मुख्य परीक्षा के साथ जमा किए गए थे, उत्तर दिया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी अपना दावा दोहराया कि 1 दिसंबर, 2008 को साक्षात्कार के समय सभी दस्तावेजों को आयोग द्वारा सत्यापित किया गया था। 10 दिसम्बर, 2009 के पत्र में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह भी उल्लेख किया कि, जैसा कि आयोग के उप सचिव द्वारा निर्देशित किया

गया था, जिला समाज कल्याण अधिकारी, धुबरी द्वारा जारी उसे जारी किए गए पहचान पत्र की सत्यापित प्रति भेजी जा रही है।

13. यहां यह देखना प्रासंगिक होगा कि 15 जून, 2009 की चयन सूची को रिट याचिका संख्या 2755/2009 और अन्य संशोधित मामलों मेंचुनौती दी गई थी। उपरोक्त रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को नया निर्णय लेने और संशोधित सूची प्रकाशित करने के लिए वापस भेजकर कर दिया गया। उपरोक्त रिट याचिका मेंन्यायालय के समक्ष लोकोमोटर विकलांगता की श्रेणी मेंआरक्षण का मुद्दा नहीं था। महिला अभ्यर्थियों से संबंधित प्रक्रियात्मक विसंगति थी।

14. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रिट याचिका संख्या 67/2010 दायर की, जिसमेंप्रत्यर्थी संख्या 3, आयोग द्वारा जारी की जाने वाली नई सूची मेंअपना नामेंशामिल करने का निर्देश देनें की मांग की गई। इस रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने 7 जनवरी, 2010 को प्रीमैच्योर होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद, 5 फरवरी, 2010 को, आयोग ने एक संशोधित सूची प्रकाशित की, जिसमेंप्रत्यर्थी संख्या 1 का नामेंफिर से नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेंशामिल नहीं किया गया था।

15. इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2010 की रिट याचिका संख्या 950 द्वारा चयन सूची को चुनौती दी। रिट याचिका 8 फरवरी, 2010 को

दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2010 को एक पक्षीय आदेश दिया, जिसमेंप्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी को नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी न किया जाए।

16. इस रिट याचिका याचिका पर दायर जवाबी हलफनामेंमें, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने विशेष रूप से कहा कि दस्तावेेज निर्धारित समय के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 14 मार्च, 2010 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रिट याचिका स्वीकार की गई। 10 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत पहचान पत्र के आधार पर मामलें पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक निर्देश जारी किया। हमेंयहां देख सकते है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा किए गए स्पष्ट दावे के बावजूद जारी किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी 8 जनवरी 2010 के संकल्प के आधार पर खारिज कर दी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी बैठक दिनांक 8 फरवरी 2010 मेंनिर्णय लिया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने फाॅर्मेंके साथ पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पद के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे का समर्थन करने के लिए यह महत्वपूर्ण था। इसलिए एक जरूरी शर्त पूरी न होने के कारण उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई। हांलाकि, 4 मार्च 2010 के उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 21 मई, 2010 को हुई अपनी बैठक मेंअंतिमेंचयन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 की शारीरिक रूप से

विकलांग (लोकोमोटर विकलांगता) अभ्यर्थी के रूप मेंपात्रता से संबंधित मामले की फिर से गहन जांच की। रिकार्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्री की गहन जांच और पुनः परीक्षण करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 का दावा स्वीकार नहीं किया गया। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी के रूप मेंअपीलार्थी का नामेंविधिवत दोहराया गया था। इस आशय का एक पत्राचार 31 गई, 2010 को अपीलार्थी के साथ साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 को भेजा गया था।

17. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 21 मई, 2010 के संकल्प और 31 मई, 2010 के संचार को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका संख्या 3382/2010 दायर की। उपरोक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी के साथ स्वीकार किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 पर याचिकाकत्र्ता के पहचान पत्र को ध्यान मेंरखते हुए चयन के लिए उसकी पात्रता की जांच करना कानूनी दायित्व था। उच्च न्यायालय ने नोटिस किया कि 21 मई, 2010 की बैठक के मिनटों मेंशामिल प्रत्यर्थी संख्या 3 का प्रस्ताव यह संकेत देगा कि आयोग ने एकल पद के विरूद्ध नियुक्ति के लिए चयन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले पर विचार नहीं करने का फैसला किया है। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पहचान पत्र इस आधार पर निर्धारित किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विभिन्न चरणों मेंजमा करना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने माना है कि उपरोक्त निर्णय, रिट याचिका (सी) संख्या 950/2010 मेंपारित आदेश दिनांक 4

मार्च, 2010 के पैराग्राफ 13 मेंउच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक मेंनहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया कि पहचान पत्र देर से जमा करने के प्रश्न का न्यायालय द्वारा पहले ही उत्तर दिया जा चुका है और इसे ध्यान मेंरखने के निर्देश जारी किए जा चुके है, लोक सेवा आयोग उस तरीके से कार्य नहीं कर सकता था, जैसा उसने किया है। इसलिए, इस रिट याचिका को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

''उपरोक्त कारणों से, हमेंआयोग के दिनांक 21.05.2010 के संकल्प के साथ साथ दिनांक 31.05.2010 के संचार को रद्द कर देते है और निर्देश देते है कि लोक सेवा आयोग अब याचिका कत्र्ता द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र को ध्यान मेंरखते हुए उसकी पात्रता की जांच करे। स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, हमेंयह जोड़ना उचित समझते है कि याचिकाकत्र्ता के मामले पर विचार करते समय पहचान पत्र की सामग्री की स्वीकार्यता, सत्यता या अन्यथा और उक्त सामग्री के प्रभाव, यदि स्वीकार्य पाए जाते है, पर आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।''

इन निर्देशों को अपीलार्थी ने इन अपीलों मेंचुनौती दी है।

18. हमने पक्षों के वकीलों को सुना है।

19 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण का कहना है कि 5 जून, 2007 के विज्ञापन में, एक पद केवल लोकोमोटर

विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के लिए आरिक्षत था। विज्ञापन मेंयह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों ने 10 अगस्त, 2006 के विज्ञापन संख्या 6/2006 के जवाब मेंपहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं, लेकिन लोकोमोटर विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को असमेंलोक सेवा आयोग के कार्यालय मेंया सहायक दस्तावेजों को परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा हाॅल मेंपेश करना होगा। विज्ञापन मेंआगे यह प्रावधान किया गया है कि जिन अभ्यर्थियो को आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा मेंप्रवेश के लिए योग्य घोषित किया गया है, उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र मेंफिर से आवेदन करना होगा, जो उन्हें प्रदान किया जाएगा। 50 प्रतिशत तक लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों की श्रेणी मेंआवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्राधिकारी से लोकोमोटर विकलांगता का प्रमाण पत्र भेजना आवश्यक था। श्री भूषण के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परीक्षा शुरू होने से पहले प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय मेंया परीक्षा हाल मेंआवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। वास्तव में, इंटरव्यू के बाद तक उन्होनें आई.डी. कार्ड भी जमा नहीं किया था। जब तक उन्होनें आई.डी. कार्ड जमा किया तब तक सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची भी प्रकाशित हो चुकी थी। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विज्ञापन मेंदिए गए निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित विकलांगता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 8 जनवरी, 2010 के अपने संकल्प मेंवैध कारणों से उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया।

20. श्री भूषण का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है कि विज्ञापन मेंनिर्धारित पात्रता की शर्तों मेंकोई बदलाव नहीं हो सकता है, जब तक कि किसी विशेष शर्त के बारे मेंकोई विशिष्ठ शर्त न बनाई गई हो जो कि संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर छूट प्रदान किये जाने योग्य हो। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि अनुच्छेद 14 की कठोरता''

लागू नहीं होगी, जहां नियोक्ता को उपलब्ध सर्वोत्तमेंप्रतिभा को चुनने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे परिणामेंप्राप्त करने के लिए, नियोक्ता को विज्ञापन की शर्तों मेंकठोरता मेंछूट देते हुए कार्य करने के लिए व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए, सार्वजनिक सेवा मेंनियुक्ति के लिए विज्ञापन मेंबताई गई आवश्यकताओं को लचीला नहीं समझा जाना चाहिए और लचीलेपन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय इस बात का विश्लेषण करने मेंअसफल रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को 8 जनवरी, 2010 के संकल्प द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उचित विचार करने के उपरांत खारिज कर दिया गया था।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय इस गलत धारणा पर आगे बढ़ा है कि आयोग ने स्वयं कई अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को इस तथ्य के कारण अनंतिमेंमाना था कि आयु या शैक्षिक योग्यता के

अपेक्षित प्रमाण पत्र आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। श्री भूषण के अनुसार, उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि लोक सेवा आयोग ने स्वयं आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने की शर्त को अनिवार्य और अनम्य आवश्यकता नहीं माना है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार उच्च न्यायालय का उक्त निष्कर्ष तथ्यात्मक रूप से गलत है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने वास्तव में' संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा पर अभ्यर्थियों को सूचना मेंजारी निर्देश के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी को कठोरता से पालन करते हुए खारिज कर दिया था। निर्देश संख्या 13 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि "सभी या कुछ संलग्नक के बिना प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। कोई भी संलग्नक जो पहले आवेदन के साथ नहीं भेजा गया था लेकिन बाद मेंउम्मीदवारों द्वारा भेजा गया गया था, उस पर विचार नही किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की आवेदन पत्र ठीक से भरा हुआ है और सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ है।" श्री भूषण का कहना है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामलें में, उन्हें लोकोमोटर विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जमा कराने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय ने रिकार्ड किया कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिमेंतिथि, जो कि 11 सितंबर, 2006 थी, से पहले प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने मामले के समर्थन

मेंइस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1992 (2) एस.सी.सी. 206, कर्नाटक लोक सेवा आयोग बनामेंबी.एम. विजयाशंकर व अन्य पर भरोसा किया।

23 दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी.जी. हजारिका का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा 8 जनवरी, 2010 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित प्रस्ताव को रद्द करने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पूरे मामले पर पुनर्विचार किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 को रिट याचिका संख्या 950/ 2010 पेश करनी पड़ी क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पुनः अवैध रूप से उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी। इसलिए, उन्होनें अपीलार्थी के चयन को चुनौती दी।

24. उपरोक्त रिट याचिका, मेंआवेदन मेंयह कहा गया था कि, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवेदन पत्र के कालम संख्या 11 के सामने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि वह 50 प्रतिशत तक लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित है। उन्होनें शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होने के अपने दावे के समर्थन मेंजिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ जिला मेडीकल बोर्ड, धुबरी द्वारा 21 जनवरी, 2004 को जारी प्रमाण पत्र जमा किया था। रिट याचिका मेंउनका दावा था कि उन्होनें मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उन्हें 1 दिसंबर,2008 को काॅल लेटर द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 का मामला यह था कि उन्होनें साक्षात्कार के समय अन्य प्रमाण पत्रों और प्रशंसा पत्रों के साथ

50 प्रतिशत की सीमा तक लोकोमोटर विकलांगता के उनके दावे का समर्थन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। हांलाकि, जब 15 जून, 2009 को चयन सूची प्रकाशित की गई, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 का नामेंउसमेंशामिल नहीं था। वास्तव में, यह अपीलार्थी ही था, जिसे नियुक्ति के लिए चुना गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 का मामला यह भी था कि अपीलार्थी ने परीक्षा में695 अंक हासिल किए थे जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 817 अंक हासिल किए थे। अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका अवैध एवं मनमाने ढंग से चयन नहीं किया गया।

25. इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 14 सितम्बर, 2009 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमेंअपीलार्थी के, जिसने कमेंअंक प्राप्त किए थे, के चयन पर सवाल उठाने की मांग की गई थी। अभ्यावेदन में, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विशेष रूप से कहा था कि उसने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा किए थे। उक्त दस्तावेजों को 11 दिसंबर, 2008 को साक्षात्कार के समय सत्यापित किया गया था। दस्तावेज 14 सितंबर, 2009 के अभ्यावेदन के साथ भी संलग्न थे। इसलिए, 4 दिसंबर, 2009 को आयोग के उपसचिव ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को सूचित किया था कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित होने का पहचान पत्र जमा नहीं किया गा था। यद्यपि यह एक अनिवार्य दस्तावेज है, इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को इसे यथाशीघ्र आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। दिनांक 4

दिसम्बर, 2009 को संचार प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आयोग के उप सचिव को संबोधित अपने पत्र दिनांक 10 दिसंबर, 2008 के माध्यमेंसे दोहराया कि दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए थे और आयोग के द्वारा सत्यापित किए जा चुके है। हांलाकि, उन्होनें फिर से जिला समाज कल्याण अधिकारी, धुबरी द्वारा उन्हें जारी किए गए पहचान पत्र की सत्यापित प्रति पुनः प्रेषित की।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मेंरखते हुए, उच्च न्यायालय सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी के दावे से विशेष रूप से इंकार नहीं किया था कि उसने 11 दिसंबर, 2008 को साक्षात्कार के समय पहचान पत्र प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी विचार किया था कि तीन अन्य अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी, जिन्होनेंे आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए थे, को प्रोविजनल माना गया था। इन अभ्यर्थियों को भी चयन सूची मेंशामिल किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि आवेदन के साथ या प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र जमा करने की शर्त आज्ञापक नहीं थी। 8 जनवरी, 2010 और 21 मई, 2010 के संकल्पों मेंउम्मीदवारी को अस्वीकार करने मेंप्रत्यर्थी संख्या 3 की कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा सही ही रद्द कर दिया गया था।

27. श्री भूषण ने जवाब मेंकहा कि संपूर्ण तथ्य स्थिति की गहन जांच करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने संकल्प दिनांक 21 मई, 2010 मेंस्पष्ट रूप से देखा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को हमेशा एक सामान्य उम्मीदवार के रूप मेंमाना गया था। परीक्षा प्रक्रिया और लोकोमोटर विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग नहीं माना गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इस सवाल पर भी गौर किया कि क्या कोई अन्य अभ्यर्थी, जिसने आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन साक्षात्कार के बाद उन्हंे प्रस्तुत किया था, स्वीकार किया गया था या नहीं। मुद्दे की जांच करने पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पाया कि वास्तव मेंएक आवेदक अर्थात श्रीमति अनिमा बैश्य की उम्मीदवारी को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था क्योंकि उन्होनें 26 फरवरी, 2009 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के अध्यक्ष के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमेंउन्होनें पहली बार खुद को एस सी उम्मीदवार होने का दावा किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले में, परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने के काफी बाद 10 दिसम्बर, 2009 के पत्र के साथ पहली बार पहचान पत्र जमा किया गया था।

28. हमने पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया। हमारी राय में, यह अच्छी तरह तय हो चुका है कि इसे और दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि सार्वजनिक कार्यालय मेंसभी नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भी

अभ्यर्थी को दिखाए जा रहे अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, चयन प्रक्रिया को को निर्धारित चान प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से संचालित किया जाना चाहिए। नतीजतन, जब किसी विज्ञापन मेंकिसी विशेष कार्यक्रमेंका उल्लेख किया जाता है, तो उसे ईमानदारी से बनाए रखा जाना चाहिए। विज्ञापन के नियमों और शर्तों मेंकोई छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि ऐसी शक्ति विशेष रूप से आरक्षित न हो। ऐसी शक्ति प्रासंगिक वैधानिक नियमों मेंआरक्षित की जा सकती है। यदि नियमों मेंछूट की शक्ति प्रदान की गई है, तब भी विज्ञापन में इसका उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नियमों मेंऐसी शक्ति के अभाव में, इसे अभी भी विज्ञापन मेंप्रदान किया जा सकता है। हांलाकि, यदि छूट की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसका उचित प्रचार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जो अभ्यर्थी छूट के कारण पात्र हो गए है, उन्हें आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर दिया जाए। उचित प्रकाशन के बिना विज्ञापन मेंकिसी भी शर्त मेंछूट भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 मेंनिहित गुणवत्ता के आदेश के विपरीत होगी।

29. इस मामलें मेंविज्ञापन के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि छूट की कोई शक्ति नहीं थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देकर गलती की है कि आवेदन पत्र के साथ या प्रारंभिक परीक्षा मेंउपस्थित होने से पहले विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध

मेंप्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले मेंशर्त मेंढील दी जा सकती है। इस तरह का कोई रास्ता अपनाया जाना अनुज्ञेय नहीं होगा क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश का उल्लंघन करेगा।

30. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने मेंगलती की कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आवेदन के साथ या प्रारंभिक परीक्षा मेंउपस्थित होने से पहले प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध मेंशर्त को अनिवार्य नहीं माना है। उपरोक्त निष्कर्ष हमारी राय में, रिकार्ड के विपरीत है। 21 मई, 2010 के अपने संकल्प मेंआयोग ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए है:-

''हांलाकि श्री एस. खान ने अपने पत्र दिनांक 10.12.2019 मेंउल्लेख किया था कि वह लोकोमोटर विकलांगता के संबंध मेंपहचान पत्र फिर से जमा कर रहे थे, वास्तव में, उन्होनें पहली बार अपनी लोकोमोटर विकलांगता का दस्तावेजी प्रमाण ए.पी.एस.सी. के कार्यालय मेंअपने उपरोक्त पत्र दिनांक 10.12.2019 के माध्यमेंसे जमा किया था। हांलाकि, पहचान पत्र प्राप्त होने के बाद मामले को पूर्ण आयोग के समक्ष यह निर्णय लेने के लिए रखा गया था कि क्या आयोग एक आवश्यक दस्तावेज पर कार्यवाही कर सकता है जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पहले प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन चयन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तुत किया गया था।

आयोग ने मामले की विस्तृत जांच करते हुए पाया कि श्री एस. खान को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सामान्य अभ्यर्थी के रूप मेंमाना गया था और

उन्हें लोकोमोटर विकलांगता के साथ शारीरिक रूप से विकलांग नहीं माना गया था। श्री एस. खान पर निर्णय लेने से पहले आयोग द्वारा इस बात पर भी गौर किया गया कि क्या किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकार/लाभ आदि से संबंधित कोई आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ या साक्षात्कार के समय नहीं दिया गया था, बल्कि साक्षात्कार के बाद प्रस्तुत किया गया था, तो उसे स्वीकार कर लिया गया था या नहीं। रिकार्ड से, यह पाया गया कि श्री एस. खान के मामले से पहले, एक श्रीमति अनिमा बैश्य ने 26.02.2009 को अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमेंपहली बार खुद को एस सी अभ्यर्थी होने का दावा किया गया था। लेकिन खुद को एस सी अभ्यर्थी मानने के उसके दावे पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उन्होनें एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप मेंआवेदन किया था और एस.सी. अभ्यर्थी के रूप मेंउनके दावे के समर्थन मेंजाति प्रमाण पत्र परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के काफी समय बाद दिया गया था।''

31. ऐसे निष्कर्ष के सामने, हमेंयह निष्कर्ष निकालने मेंथोड़ी झिझक है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष रिकार्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्रियों के विपरीत है। यह स्थापित कानून है कि विज्ञापन मेंनिहित नियमों और शर्तों मेंकोई छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि छूट की शक्ति संबंधित नियमों और/या विज्ञापन मेंविधिवत आरक्षित न हो। भले ही नियमों मेंछूट की शक्ति हो, फिर भी उसे विज्ञापन मेंविशेष रूप से इंगित करना होगा। वर्तमान मामले में, ऐसा कोई

नियमेंहमारे संज्ञान मेंनहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय चयन सूची के प्रकाशन के साथ चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रस्तुत पहचान पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे पर विचार करने के लिए विवादित दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता था।

32. उपरोक्त को ध्यान मेंरखते हुए, अपील स्वीकार की जाती है और 4 मार्च, 2010 का आक्षेपित निर्णय और आदेश, जो कि रिट याचिका (सि) संख्या 950/2010 मेंपारित किया गया और 2 जुलाई, 2010 का आक्षेपित निर्णय और आदेश, जो कि रिट याचिका (सि) संख्या 3382/2010 मेंउच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया, को निरस्त किया जाता है।

अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिषेक कुमार, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मेंसमझाने के सीमत उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मेंअनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्यवन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।